

15/11

मुकदमा नं० 3116 निर्णय दि० 15.11.16

जो 15/11/16 को बाराको न्यायाधीश
को कार्यालय परिसर में
को निर्णय

16/11/18

प्राक्ती लोक अदालत तथा आपके द्वारा केंद्र
में रिपोर्ट में रिपोर्ट हुई।

इस प्रकरण में उपर्युक्त रिपोर्ट के
पर क्रमिक/AR/2017/10 दि० 11/01/17 का एवं
तत्संबंधित रिपोर्ट के पर क्रमिक यू-आम्बिओव/
2017/163 दि० 12/01/17 का अज्ञात किया।
इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डीपी
दि० 12/12/15 का अज्ञात किया गया।
यहां उनवानी रघुवीर नाम सरकार
मु० नं० 170/15 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय
व डीपी दि० 12/12/15 पारित ही गई है जिसकी
पालना के लिये तत्संबंधित रिपोर्ट में इलाका में
आदेश दिये थे। लेकिन तत्संबंधित रिपोर्ट ने
विगत तीन वर्ष से डीपी ही पालना नहीं की व
प्रकरण की प्रकृति एवं गलत रूप में
पर जारी हुई इस न्यायालय को तत्संबंधित रिपोर्ट
में गुमराह किया है।

अतः तत्संबंधित रिपोर्ट को आदेश दिया
जाते है कि वे इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय
व डीपी दि० 12/12/15 की राजस्व रिकॉर्ड में अभिलेख

10 दिन में पालना करें। तत्संबंधित रिपोर्ट तत्संबंधित
जारी हो। प्राक्ती केंद्रल सुभाष हीवर नम्बर में
रूप हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखा जा कर
लोक अदालत केंद्र रिपोर्ट में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिकंदरा जिला-दीपा